

कार्यालय-मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा।
पत्रांक- 940/35-1, गोण्डा, दिनांक, नवम्बर 06/2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय- जनपद महाराजगंज के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महाराजगंज के अन्तर्गत कैम्पियर शाखा नहर निर्माण (कि०मी० 51.00 से 62.106) हेतु ग्राम कोल्हुआ उर्फ सिंधोरवा में 02 हे० आरक्षित वनभूमि तथा ग्राम लालपुर कल्यानपुर में प्रभावित होने वाली 0.2 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 0.4 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 40 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। आनलाइन प्रस्ताव सं० FP/UP/Canal/44512/2020

संदर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक 921/11-सी- FP/UP/Canal/44512/2020 दिनांक 19.10.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महाराजगंज ने अपने पत्र के माध्यम से आनलाइन प्रस्ताव सं० FP/UP/Canal/44512/2020 में पायी गयी बिन्दुवार कमियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव मय संलग्नको सहित चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी तीन प्रतियां संलग्न कर आपको संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(सुजाय बैनजी)

मुख्य वन संरक्षक,

वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा।

संख्या- 940 -अ/ समदिनांकित।

1- प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महाराजगंज को उनके पत्रांक 3034/2-13 (शिविर), दिनांक 05.11.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड, तुलसीपुर, बलरामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

A
06/11/2020

(सुजाय बैनजी)

मुख्य वन संरक्षक,

वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा।